

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

1. हिम्मताराम पुत्र श्री जैसाराम जाति जाट निवासी 2 डी.एम. धांधड़ा तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थी.....

बनाम-

1. उदराम पुत्र श्री जैसाराम जाति जाट निवासी 2 डी.एम. धांधड़ा तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

.....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति :- श्री प्रेम कुमार चुघ वकील वादी
श्री लाजपतराय वकील प्रतिवादी
पैराकार राज तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 67/2018

निर्णय दिनांक - 19/08/19

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर. टी.एक्ट माननीय न्यायालय में पेश किया है। उपरोक्त वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी, वाके धांधड़ा बरानी तहसील श्री विजयनगर का खसरा नं. 121 के 36 बीघा बरानी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से दिनांक 27/07/1989 को आवंटित हुई थी। जिसकी समस्त किश्ते प्रार्थी ने खजानाराज में जमा करवाई तदुपरान्त उक्त 36 बीघा बरानी रकबा की खातेदारी सनद जरिये सनद संख्या 0748958 दिनांक 27 फरवरी 1997 को श्रीमान जिला कलेक्टर श्री गंगानगर द्वारा प्रार्थी के नाम से जारी की गई। कालान्तर में राजस्व विभाग द्वारा उक्त रकबा की मुरब्बा बन्दी व किला बन्दी की गई जिसके अनुसार वर्तमान में उक्त रकबा धांधड़ा बरानी पटवारा हल्का चक 2 डी.एम. (धांधड़ा) का मुरब्बा नं. 105/27 का किला नं. 24, 25 के 2 बीघा, मुरब्बा नं. 105/35 के किला नं. 21 ता 25 के 5 बीघा, मु.नं. 105/36 के किला नं. 1 ता 14, 17 ता 20, 23, 24 के 20 बीघा, मु.नं. 105/37 के किला नं. 3 ता 5, 6, 7, के 4 बीघा कुल 36 बीघा बरानी में पैमुद हुई। उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। जो निरन्तर एवं शान्तिपूर्वक प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। तथा प्रार्थी खातेदार काश्तकार होने के नाते इस कृषि भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का भाई है जिसके पास भी विवादित भूमि के साथ चिपती भूमि है। प्रार्थी की उक्त

लगातार.....2



Priyanka
प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

(2)

विवादित भूमि जो मौका पर पुरी है और प्रार्थी अपनी ही भूमि पर काबिज है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की उक्त विवादित भूमि को लेकर हर समय भूमि की पैमाईश को लेकर विवाद करता रहता है और हर समय किसी न किसी बहाने प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलअंदाजी करता रहा है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का दखल देने का कतई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने इसी उद्देश्य से तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को भी अपने अनुचित प्रभाव में ले रखा है और तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर भी अप्रार्थी संख्या 1 के अनुचित प्रभाव में आकर विधि विरुद्ध तरीके से प्रार्थी की खातेदारी भूमि की गलत पैमाईश करने के प्रयासरत है। अप्रार्थी ने अपने उक्त नापाक ईरादे से अरसा तीन दिन पूर्व भी प्रार्थी की भूमि में दखलअंदाजी पैदा कर दी और प्रार्थी को सरेआम व ऐलानियां धमकी दी कि वह तहसीलदार से मिलकर इस भूमि की पैमाईश करवायेगा और प्रार्थी की उक्त भूमि पर अपना कब्जा करेगा जिस पर प्रार्थी दिनांक 12/11/2018 को तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को समस्त वस्तु स्थिति से अवगत करवाया परन्तु तहसीलदार श्री विजयनगर ने प्रार्थी की बात सुनने से इन्कार कर दिया। आदि का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 विवादित रकबा धांधड़ा बारानी पटवारा हल्का चक 2 डी.एम. (धांधड़ा) का मुरब्बा नं. 105/27 का किला नं. 24, 25 के 2 बीघा, मुरब्बा नं. 105/35 के किला नं. 21 ता 25 के 5 बीघा, मु.नं. 105/36 के किला नं. 1 ता 14, 17 ता 20, 23, 24 के 20 बीघा, मु.नं. 105/37 के किला नं. 3 ता 5, 6, 7, के 4 बीघा कुल 36 बीघा बारानी कृषि भूमि पर प्रार्थी के कब्जा काश्त उसके उपयोग उपभोग में किसी तरह का बेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने से बाज वा मननू रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर वाद के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि चक धांधड़ा बारानी पटवार हल्का 2 डी.एम. का खसरा नं. 121/8 में 9.1080 है। बारानी प्रार्थी हिम्मताराम पुत्र जैसाराम कौम जाट साकिन 2 डी.एम. धांधड़ा को एवं प्रतिवादी संख्या 1 उदराम पुत्र जैसाराम कौम जाट साकिन 2 डी.एम. धांधड़ा को खसरा नं. 121/4 में 9.1080 है। बारानी आवंटन शुदा है। प्रतिवादी संख्या 1 अपनी 2 डी.एम. धांधड़ा की खसरा नं. 121/4 में 9.1080 है। कुल 36 बीघा रकबा पर काबिज है। किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद व लडाई झगड़ा नहीं है। वादी हिम्मताराम के द्वारा न्यायालय को झूठा व बढ़ा चढ़ा कर मनगढ़त बाते बतलाकर न्यायालय में वाद पत्र पेश किया है। वादी हिम्मताराम के द्वारा अपनी उक्त भूमि में मुरब्बा नं. 105/27 व मु.नं. 105/32 व मु.नं. 105/37 व मु.नं. 105/28 में किले वाईज अपनी भूमि दर्शायी है। जो कि बिलकुल गलत है। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के द्वारा अभी तक उक्त भूमि का अभी तक मुरब्बा बन्दी व किला बन्दी नहीं की गई है। उक्त चक की तमाम भूमि अभी खसरा वाईज आवंटित हुई है। वादी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिवादी को जानबूझकर तंग परेशान करने के लिए न्यायालय में पेश किया है। तथा उक्त भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। जबकि वर्तमान में उक्त भूमि की मुरब्बा बन्दी व किला बन्दी की जानी है। तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त चक धांधड़ा की लगातार.....3



Prajwal
विद्वान् तहसिलदार (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

(3)

तहसीलदार व पटवारी के द्वारा पैमाईश की जानी है। वादी के द्वारा जानबूझकर पैमाईश में व मुरब्बा बन्दी व किला बन्दी की जांच प्रभावित करने के लिए उक्त वाद पत्र पेश किया है। आदि का प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और वकील उभय पक्ष की बहस सुनी और निष्कर्ष रूप में यह पाया कि वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित भूमि धांधड़ा बारानी पटवारा हल्का चक 2 डी.एम. (धांधड़ा) का मुरब्बा नं. 105/27 व मु.नं. 105/32 व मु.नं. 105/37 व मु.नं. 105/28 को किला वाईज होना दर्शाया गया है। परन्तु मौका पर उक्त भूमि अभी तक खसरा में ही चली आ रही है। जिसकी किलेबन्दी होनी शेष है। अपूर्णाय क्षति, सुविधा का सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.08/19
को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Signature)
(प्रियका त्रिलानिया)
प्रियका त्रिलानिया (R.A.S.)
उपखण्डाधिकारी कारी
श्रीविजयनगर नगर